

निदेशक मंडल

1.	श्रीमती रामश्री शर्मा	:	निदेशक
2.	श्रीमती ममता बाई	:	निदेशक
3.	श्रीमती टीना यादव	:	निदेशक
4.	श्रीमती नीलम नागर	:	निदेशक
5.	श्रीमती गायत्री	:	निदेशक
6.	श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा	:	निदेशक
7.	श्रीमती बबीता परमार	:	निदेशक
8.	श्रीमती रीना दांगी	:	निदेशक
9.	श्रीमती ममता लोधी	:	निदेशक
10.	श्रीमती मीना राजपूत	:	निदेशक
11.	श्रीमती अबधेश यादव	:	निदेशक
12.	श्री आलोक कुमार गुप्ता	:	विशेषज्ञ निदेशक
13.	श्री बसंत चौधरी	:	विशेषज्ञ निदेशक
14.	श्री रवीन्द्र सिंह	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एस एन धवन & कं
एल एल पी, चार्टर्ड एकाउंटेंट गुरुग्राम
आंतरिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एन. आर. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट, मुंबई

कंपनी सचिव

श्रीमती वैष्णवी शर्मा

हेड फाइनेंस

श्री प्रीतिश मंडल

बैंकर्स

एच डी एफ सी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक
ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

लिक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

नोबेल हाइट्स, फर्स्ट फ्लोर, प्लाट नं NH-2, C-1 ब्लॉक, LSC सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली
110058

पंजीकृत कार्यालय

ओल्ड ए बी रोड, प्राभत ब्रेड फैक्टरी के पास, तलाबड़ा, चम्पापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, म.प्र.- 465674

सूची

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ
1.	निदेशक रिपोर्ट	3-10
2.	लेखा परीक्षको की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	11-21
3.	वित्तीय खाते और उनके नोट्स	22-49
4.	सातवीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवृत्त	50-54
5.	आठवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	55-61
6.	वर्ष 2024-25 के लिए बजट	62-63
7.	उपस्थिति पर्ची	64
8.	प्रॉक्सि फॉर्म	65-66
9.	प्राप्ति रसीद	67-68

नोट:

- हिंदी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाए जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।
- सभी राशि लाख में हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

निदेशक की रिपोर्ट

प्रति
सदस्य मालव महिला दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड।

निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के संचालन पर आठवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी को 18 अगस्त, 2017 को मध्य प्रदेश राज्य में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में निगमित किया गया, ताकि सदस्यों के दूध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और उसके विपणन का व्यवसाय किया जा सके।

वित्तीय परिणाम:-

संक्षेप में दिए गए वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं:-

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व	13,504.93	7,122.55
अन्य आय	678.96	460.82
कुल राजस्व	14,183.89	7,583.37
कुल खर्च	13,691.82	7,342.66
कर से पहले की अवधि के लिए लाभ / (हानि)	492.07	240.71
कराधान के लिए प्रावधान	89.66	39.07
कर के बाद की अवधि के लिए लाभ/ (हानि)	402.41	201.64

कंपनी के संचालन का विवरण (Statement of the Company's Affairs):

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व बढ़कर 13,504.93 लाख रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष के 7,122.55 लाख रुपये से 89.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कुल खर्च 13,691.82 लाख रुपये है, जबकि पिछले साल यह 7,342.66 लाख रुपये था। वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ ₹ 402.41 लाख है, जबकि पिछले वर्ष ₹ 201.64 लाख था।

लाभांश (Dividend):

निदेशक मंडल ने ₹8 (आठ रुपये केवल) प्रति इक्विटी शेयर की दर से सीमित प्रतिफल (लाभांश) की सिफारिश की है, जिसमें ₹23,65,184/- (तेईस लाख पैंसठ हजार एक सौ चौरासी रुपए मात्र) अवशोषित किए जाएंगे। सीमित रिटर्न (लाभांश) का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।

सामान्य संचय में हस्तांतरण(Transfer to General Reserve):

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378 ZI के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद सं. 11.10 में बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24, कंपनी के कर पश्चात लाभ में से ₹ 378.76 (तीन

(तीन करोड़ अठहतर लाख छिहतर हजार रुपये मात्र) बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व के क्रेडिट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया है।

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरण(Transfer to Investor Education and Protection Fund):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित लाभांश इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अवैतनिक या दावारहित रहता है तो ऐसा दावा न किया गया या अवैतनिक लाभांश कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज के साथ, यदि कोई हो, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ('IEPF'), धारा 125 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित एक फंड में स्थानांतरित किया जाएगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश की किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचालन की समीक्षा (Review of Business Operations)

दूध की खरीद (Milk Procurement)

वित्तीय वर्ष में कंपनी ने दूध खरीद कार्य राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर और गुना के 700 से अधिक गांवों में किया। वर्ष के दौरान कंपनी ने 2,39,62,386 (kg.) दूध की खरीद की है।

वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी के 22,930 सदस्य थे। इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कंपनी की विकास गाथा को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों की पारस्परिक सहायता और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्च शिखर तक पहुंचने में शक्य है।

खरीद मूल्य के संबंध में, कंपनी अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध पर प्रतिस्पर्धी और पारिश्रमिक मूल्य का भुगतान कर रही है।

कंपनी सदस्यों से दूध संकलन बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है।

भविष्य की योजना (Future Plan)

राजगढ़, शिवपुरी श्योपुर, गुना और दतिया जिले के अलावा, रतलाम, मंदसौर, आगर मालवा और शाजापुर जिलों के अधिक दूध उत्पादकों को संगठित दूध खरीद और कंपनी के संस्थागत ढांचे के दायरे में लाने के लिए, कंपनी अपना विस्तार करेगी।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएं (Productivity Enhancement Services) :-

कृत्रिम गर्भाधान (AI Services) सेवाएं:

कंपनी दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने और मवेशियों की नरल में सुधार करके अपने परिचालन क्षेत्र में किसानों की आय को अधिकतम करने के लिए किसानों के दरवाजे पर शीघ्र आनुवंशिकी का उपयोग करके प्रशिक्षित योग्य एआई तकनीशियनों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं प्रदान कर रही है।

कंपनी स्थानीय युवाओं की भर्ती करना और उन्हें एनडीडीबी के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना पसंद करती है। दोहराने वाली गर्मी के लिए गर्भाधान के 21 दिनों के बाद अनुवर्ती, 90 दिनों के बाद गर्भावस्था का निदान और कैल्विंग फॉलो-अप रिकॉर्ड आईएनएपीएच सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी वर्ष 2022-23 के लिए 17705 AI की तुलना में 20789 AI करने में कामयाब रही।

मवेशियों का चारा (Cattel Feed)

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 1039 मीट्रिक टन पशु चारा बेचा, जबकि पिछले वर्ष यह 824 मीट्रिक टन था, जिसमें 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

खनिज मिश्रण (Mineral Mixture)

कंपनी ने संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारा, जलवायु और भोजन की आदतों पर विचार करते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर प्रदान किया है। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खनिज मिश्रण वर्ष 2022-23 में 16707 kgs. की तुलना में लगभग 19083 kgs. की बिक्री की।

गुणवत्ता पहल (Quality Initiative):

बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) का उपयोग कच्चे दूध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए आवश्यक परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित है। FSSAI के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार बीएमसी स्तर पर नई मिलावट परीक्षण और एंटीबायोटिक परीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता वाले स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कंपनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी संबंधितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है और लगातार प्रदान कर रही है जो सीधे दूध की गुणवत्ता से जुड़े हुए हैं। कृषि स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रोड्यूसर संस्था निर्माण (पीआईबी) (Producer Institution Building):

पीआईबी बेहतर शासन और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करता है। कंपनी के कारोबार में सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों को निर्देशित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बेहतर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं।

पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपनी पारदर्शी शासन प्रणालियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इन्क्विटी के प्रति सदस्यों के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धी से प्रोड्यूसर कंपनी को अलग करती हैं।

एमपीसी के मुख्य डिजाइन सिद्धांत (MPC'S Core Design Principles):

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया है। व्यापारिक लेन-देन केवल सदस्य के साथ सीमित है। सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यवसाय और शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान शेयर पूंजी योगदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर सदस्यों के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र शुरू किया गया है, जो सदस्यों और कंपनी के बीच दो-तरफा संचार के लिए आवधिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्य शिकायतों का समाधान होता है। कर्मचारियों को व्यावसायिक संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Training & Capacity Building Programs):

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सदस्यों, संभावित सदस्यों और कर्मचारियों को कवर करते हुए आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम थे:

क्रमांक	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	प्रोड्यूसर जागरूकता कार्यक्रम	400	7200
2	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	275	4950
3	बीएमसी/एमसीसी स्टाफ का प्रशिक्षण (O&M)	2	27
4	सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम	43	427
5	फैसिलिटेटर और क्षेत्रीय अधिकारी के लिए खरीद, प्रोड्यूसर संबंध और क्यूए पर प्रशिक्षण	2	31
6	गुणवता सुधार योजना (क्यूआईपी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	32

वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन (Material Changes After Closure Of Financial Year):-

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो 31 मार्च, 2024 के बाद हुई हैं, इस रिपोर्ट की तारीख तक। नियामकों और न्यायालयों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश नहीं है जो कंपनी की चल रही चिंता की स्थिति और इसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेगा।

कारोबार के स्वभाव में बदलाव:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

शेयर पूंजी और सदस्यता (Share Capital and Membership):-

31 मार्च, 2024 तक, इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 2,95,64,800 थी जिसमें ₹100/- प्रत्येक के 2,95,648 इक्विटी शेयर और कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर 22,930 सदस्य शामिल थे। 31 मार्च, 2024 के बाद, कंपनी ने 5564 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है, जिनके पास 40702 शेयर थे और 2703 नए सदस्यों को नामांकित किया है और 29,74,400 रुपये के नए और मौजूदा सदस्यों को शेयर पूंजी आवंटित की है और इसलिए, इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्यों की कुल संख्या 20,069 और कुल 2,84,69,000 रुपये की शेयर पूंजी है।

ए.जी.एम में मतदान का अधिकार और उपस्थिति (Voting Rights and Attendance at AGM):-

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्य थे, एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे। मतदान का अधिकार प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट पर आधारित होगा जिसने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 दिनों और 500 लीटर दूध डाला है।

निदेशक मंडल (Board of Directors):-

श्रीमती सीमा बाई एवं श्रीमती सुनीता यादव निदेशक ने वर्ष के दौरान दिनांक 27 सितंबर 2023 को निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

श्री बसंत चौधरी को दिनांक 9 जून, 2023 से कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा श्री आलोक कुमार गुप्ता को दिनांक 26 जुलाई 2023 से कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

श्री रवीन्द्र सिंह को दिनांक 4 नवंबर, 2023 से पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 2024 के बाद, बोर्ड ने श्रीमती ममता लोधी, श्रीमती मीना राजपूत और श्रीमती. अबधेश यादव को डीआईएन के आवंटन की तारीख से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में से नियुक्त किया गया है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में, श्रीमती टीना यादव एवं श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा, निदेशक रोटेशन के आधार पर आगामी एजीएम में सेवानिवृत्त हो जाएंगी और पात्र होने पर खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करेंगी।

आगे श्रीमती. गायत्री, निदेशक ने वर्ष के दौरान निदेशक पद 8वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से इस्तीफा दे दिया।

निदेशकों की जिम्मेदारी कथन (Directors' Responsibility Statement):-

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 के तहत आवश्यक है, निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक खातों की तैयारी में, कंपनी द्वारा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और घोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- निदेशकों ने सतत चिंता के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

लेखा परीक्षक (Auditors):-

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स एस एन धवन एंड कंपनी एल.एल.पी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुरुग्राम को कंपनी की अपनी 5th वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा (Internal Control System & Audit):-

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी परिसंपत्तियों की रक्षा और संरक्षण किया जाए और लेनदेन को अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किया जाए। खातों की आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की बाह्य फर्म मैसर्स एन. आर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा नियमित रूप से की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षक स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हैं और लेखा परीक्षा करते हैं।

मानव संसाधन (Human Resource Management):-

लोग संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम-वर्क ने कंपनी को विकास प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। कंपनी ने हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुली और उच्च प्रदर्शन वाली कार्य संस्कृति और वातावरण की पेशकश करने

का प्रयास किया है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को मान्यता दी जाती है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए, संगठन के सभी स्तरों पर कंपनी के विजन, मिशन और मूल्यों (वीएमवी) का सच्चे अक्षरशः पालन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology):-

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। आईटी का मुख्य फोकस संचालन में दक्षता में सुधार करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां प्रदान करना है, निर्णय लेने में सक्षम बनाना है और इस तरह हमारी कंपनी में प्रणालियों को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन करना है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से, सदस्यता लागत प्रभावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए 'सदस्य नामांकन ऐप' लॉन्च किया गया था।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees):-

रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था।

सुरक्षा और स्वास्थ्य (Safety & Health):-

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। हमेशा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, खासकर उन लोगों को जो भौतिक रूप से दूध को संभालते हैं। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जांच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और आउटगो (Energy Conservation, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings And Outgo):-

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण:

- (i) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित नियमों के भाग क और ख वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ii) विदेशी मुद्रा आय और व्यय: आय - शून्य; आउटगो - शून्य।

बोर्ड की बैठकें (Board Meetings):-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की सात (8) बैठकें विधिवत बुलाई गईं और 09.06.2023, 25.07.2023, 04.09.2023, 30.10.2023, 03.11.2023, 19.12.2023, 08.02.2024, और 21.03.2024 को आयोजित की गईं।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees & Investments):-

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं दिया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण (Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties):-

संबंधित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्थाएं आपसी दूरी के आधार पर की जाती हैं। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण नोट पर दिखाई देता है जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बन रहा है।

वार्षिक रिटर्न के अर्क (Extract of Annual Return)

कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.maalavmilk.com पर उपलब्ध है।

धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण उन लोगों के अलावा जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं;

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट किए जाने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी।

जोखिम प्रबंधन नीति (Risk Management Policy):-

मैसर्स एन. आर. एंड एसोसिएट्स, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम मूल्यांकन देते हैं और इन रिपोर्टों को समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत और चर्चा की जाती है। हमारी कंपनी के पास किसी भी जोखिम की पहचान और शमन के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है।

जमा (Deposit) :-

अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर की गई जमाओं से संबंधित विवरणों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई जमा नहीं थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control):-

कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अपनाए हुए है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (Auditor's Report):-

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियाँ और उस पर प्रासंगिक टिप्पणियाँ स्वयं-व्याख्यात्मक हैं और इसलिए, किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

लागत लेखा(Cost Audit):-

लागत लेखा परीक्षा और लागत अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण (Policy Related to Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace)

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को इस संबंध में कोई अनुपालन प्राप्त नहीं हुआ है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility):-

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency & Bankruptcy code, 2016)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित है।

सतर्कता तंत्र (Vigil Mechanism):

सतर्कता तंत्र का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

भविष्य की योजनाएं (Way Forward):-

कंपनी छोटे धारक फार्मों में टिकाऊ डेयरी की कल्पना करती है। हमारा लक्ष्य पानी और ऊर्जा के उपयोग को कम करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए संचालन को अनुकूलित करना है। हम प्रोड्यूसर सदस्यों के घर में बायोगैस के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने के लिए तत्पर हैं। कंपनी डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छी डेयरी फार्मिंग प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना जारी रखेगी, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। कंपनी व्यवसाय में वृद्धि, दक्षता और पारदर्शिता के लिए भविष्य की डिजिटल तकनीकों को अपनाएगी। हम सदस्य जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इन पहलों के लिए प्रतिबद्ध होकर, कंपनी खुद को एक कर्तव्यनिष्ठ उद्योग नेता के रूप में स्थापित करेगी, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगी और एक हरित भविष्य सुनिश्चित करेगी।

वर्तमान में, कंपनी का दूध खरीद कार्य राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर और गुना जिले के 687 गांवों में जारी है। वर्तमान के अलावा, कंपनी रतलाम मंदसौर, आगरा मालवा, शाजापुर और दतिया जिले के 650 गांवों में अपने पदचिह्न बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे संगठनात्मक बुनियादी ढांचे का विकास होगा और इन क्षेत्रों से सैन्य संग्रह में वृद्धि होगी।

कंपनी अधिनियम 2013 की प्रयोज्यता (Applicability of Companies Act 2013):

चैप्टर IX-A के प्रावधान निर्माता कंपनी के रूप में 10 फरवरी 2021 तक कंपनी पर लागू थे। इसके बाद अध्याय-XXIA के प्रावधानों को 11 फरवरी, 2021 से अधिसूचित और प्रभावी किया गया। इसलिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुपालन शुरू कर दिया है।

आभार (Acknowledgement):-

निदेशक मंडल कंपनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगी और बैंकर्स द्वारा वर्ष के दौरान उनके निरंतर योगदान और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल एन.डी.डी.बी डेयरी सविसेज के प्रति भी आभारी हैं जिन्होंने अपना सतत सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया है।

बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के लिए उनका आभारी है, जिनके सहयोग के बिना कंपनी का इतना समय विकास सम्भव नहीं था।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

दिनांक: 21.08.2024

स्थान: ब्यावरा, राजगढ़

श्रीमती रामश्री शर्मा

अध्यक्ष

DIN: 07893820

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मालव महिला दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
के सदस्यों के लिए

लेखा परीक्षक की वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने मालव महिला दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट, और लाभ और हानि का विवरण, और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उसके लाभ, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (SAs) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("ICAI") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और ICAI की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। इस ऑडिट रिपोर्ट की तिथि पर प्राप्त अन्य जानकारी निदेशक की रिपोर्ट में शामिल जानकारी है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समय रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि S.A के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

S.A के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चल रहे व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष के बारे में हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, एक बयान "अनुलग्नक A" में देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:
 - a) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - b) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, नियम 11(G) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ (H)(vi) में उल्लिखित मामले को छोड़कर।
 - c) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - d) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - e) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए गए 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
 - f) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक B" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
 - g) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में; हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, चूंकि कंपनी एक निजी कंपनी है, इसलिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।
 - h) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संशोधित किया गया है:
 - i) कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा - वित्तीय विवरण में नोट 29(a) देखें।
 - i. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा हुआ हो - वित्तीय विवरण में नोट 29(c) देखें।
 - ii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था - वित्तीय विवरण के लिए नोट 29(d) देखें।
 - iii. (a) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि लेखा-जोखा में उल्लिखित है, कोई भी निधि जो व्यक्तिगत रूप से या समय रूप से महत्वपूर्ण है, उसे कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या उनमें उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत

या प्रकार की निधियों से अग्रिम या उधार नहीं दिया गया है या निवेश नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

(b). प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में उल्लेख किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर कोई भी महत्वपूर्ण निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।

(c). परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(e) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भौतिक गलत विवरण है।

- iv. (a) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश घोषित नहीं किया है तथा कंपनी द्वारा वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

- v. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुई है, सिवाय इसके कि पूरे वर्ष खरीद से संबंधित लेखांकन सॉफ्टवेयर में से एक के अनुप्रयोग स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं थी।

उपयुक्त लेखांकन सॉफ्टवेयरों के संबंध में हमारी प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान, उपयुक्त उदाहरण को छोड़कर लेखांकन सॉफ्टवेयरों में से किसी एक के लिए अनुप्रयोग स्तर पर ऑडिट ट्रेल का रखरखाव नहीं किया गया जहां ऑडिट ट्रेल के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं, इस पर हमारी टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता, हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान केवल 1 अप्रैल 2023 से कंपनी के लिए लागू है, इसलिए संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA की धारा 378ZG के अनुसार, हम 'अनुलग्नक C' में उस धारा में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दे रहे हैं।

एस एन धवन एंड कंपनी एल.एल.पी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

यूडीआईएन:

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 21 अगस्त, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक A

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मानव महिला दूध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को दिए गए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पराग्राफ 1 में संदर्भित)

- i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - a) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
(B) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - b) कंपनी के पास अपने उत्पादों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण जिसके अंतर्गत सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है, जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, कुछ सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण वर्ष के दौरान सत्यापित किए गए और हमें दो गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस प्रकार के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।
 - c) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(c) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
 - d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, जो लागत मॉडल के अंतर्गत है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(d) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
 - e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ii.
 - a) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारा मानना है कि प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।
 - b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(b) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(a) से (f) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत कोई लेनदेन नहीं किया है।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही ऐसी राशि स्वीकार की है जिसे जमा माना जाता है और इसके अलावा कंपनी के पास अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 (संशोधित) के अर्थ के भीतर वर्ष की शुरुआत में कोई दावा न की गई जमा नहीं थी। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- vii. वैधानिक बकाया के संबंध में:
- a) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वैधानिक बकाया आयकर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, शामिल हैं। आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर दिए गए हैं। इसके अलावा, इसके संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि वर्ष के अंत में देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी का परिचालन सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर आदि के लिए कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई।
 - b) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-खण्ड (a) में निर्दिष्ट कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया हो।
- viii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ था, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- ix.
- a) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
 - b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित नहीं किया गया है।
 - c) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, तदनुसार आदेश के खंड 3(ix)(c) के प्रावधान वर्ष के दौरान लागू नहीं हैं।
 - d) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समय जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
 - e) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(e) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
 - f) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(f) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- x.
- a) कंपनी ने वर्ष के दौरान आर्थिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(a) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
 - b) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमूल्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x)(b) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

- xi.
- a) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
 - b) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म ADT-4 में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ दायर नहीं की गई है।
 - c) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii)(a) से (c) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन अधिनियम की धारा 188 के अनुसार हैं, जहाँ लागू हो, तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों आदि में अपेक्षित विवरण प्रकट किए गए हैं। चूंकि, कंपनी एक निजी लिमिटेड कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xiv.
- a) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
 - b) हमने आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा लेखापरीक्षा अवधि पर विचार किया है।
- xv. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- xvi.
- a) कंपनी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi)(a) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
 - b) कंपनी ने आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार आरबीआई से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।
 - c) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी ("सीआईसी") नहीं है।
 - d) समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है जो समूह का हिस्सा हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(d) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- xviii. वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।
- xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भ्रगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

- xx. चूंकि अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx)(a) और (b) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- xxi. कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

एस एन धवन एंड कंपनी एल.एल.पी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: **000050N/N500045**

विनेश जैन
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 087701
यूडीआईएन:

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 21 अगस्त, 2024

अनुलग्नक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए B

(स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(f) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक मालव महिला दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, पूर्वोक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाते हैं, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।
- हमारे ऑडिट में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिट के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।
- हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2)

उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

6. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन और ग्राइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

7. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

एस एन धवन एंड कंपनी एल.एल.पी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701
यूडीआईएन:

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 21 अगस्त, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक C

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर **मालव महिला दूध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** के सदस्यों को आज तक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से बकाया ऋण की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 15 में बताई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी ऋण वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास वर्ष के अंत तक कोई नकदी नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूति नहीं है।
- iii. 31 मार्च, 2024 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा कंपनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

एस एन धवन एंड कंपनी एल.एल.पी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: **000050N/N500045**

विनेश जैन
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 087701
यूडीआईएन:

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 21 अगस्त, 2024

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट
सीआईएन:U01114MP2017PTC043970

	नोट न.	31 मार्च, 2024 तक रुपए प्रति लाख	31 मार्च, 2023 तक रुपए प्रति लाख
इक्विटी और दायित्व			
1 शेयरधारक निधि			
a. अंश पूंजी	3	295.65	186.34
b. संचित एवं अधिशेष	4	1,187.94	800.44
		1,483.59	986.78
2 अंश आवेदन राशि आवंटन लंबित	36	11.13	-
3 स्थगित अनुदान	5	838.34	859.29
4 गैर चालू देनदारियां			
a. दीर्घकालिक प्रावधान	9b	20.31	16.95
		20.31	16.95
5 चालू देनदारियां			
a. व्यापार देयताएं	6		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		0.44	8.54
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया		479.66	496.56
b. अप्रयुक्त अनुदान	7	-	-
c. अन्य वर्तमान देनदारियां	8	303.19	276.12
d. अल्पावधि प्रावधान	9a	0.77	2.92
		784.06	784.14
कुल		3,137.43	2,647.16
संपत्ति			
1 गैर चालू संपत्तियां			
a. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	10.1	762.16	855.57
b. अमूर्त संपत्ति	10.2	0.70	5.94
c. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	10.3	78.72	0.37
d. स्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	11	6.39	5.23
e. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	12	40.34	17.06
f. अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	13	537.11	868.04
		1,425.42	1,752.21
2 वर्तमान संपत्ति			
a. इन्वेंटरी	14	93.24	60.42
b. व्यापार प्राप्ति	15	202.00	342.08
c. नकदी और बैंक शेष	16	659.99	423.03
d. अल्पावधि ऋण और अग्रिम	17	6.14	2.62
e. अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	750.64	66.80
		1,712.01	894.95
कुल		3,137.43	2,647.16

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
एसएन धवन एड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण नंबर 000050N/N500045

निदेशक मंडल की ओर से
मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रविन्द्र सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN:10381339

रामश्री शर्मा
अध्यक्ष
DIN:07893820

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701
जगह: गुरुग्राम
तारीख: 21 अगस्त 2024

वैष्णवी शर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A60744
जगह: ब्यावरा
तारीख: 21 अगस्त 2024

सनीता विश्वकर्मा
निदेशक
DIN:08880271

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
CIN:U01114MP2017PTC043970

	नोट नं.	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ रुपए प्रति लाख	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ रुपए प्रति लाख
1 परिचालन से राजस्व	19	13,504.93	7,122.55
2 अन्य कमाई	20	678.96	460.82
3 कुल राजस्व (1+2)		14,183.89	7,583.37
4 व्यय:			
a. स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	21	12,147.75	6,328.61
b. खरीद व्यय	22	647.44	457.92
c. स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन	23	(32.82)	(29.86)
d. कर्मचारी लाभ व्यय	24	179.54	167.09
e. वित्त लागत	25	-	0.96
f. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	26	1.67	2.31
g. अन्य खर्चा	27	748.24	415.63
कुल व्यय		13,691.82	7,342.66
5 कर पूर्व लाभ (3-4)		492.07	240.71
6 कर व्यय:			
a. वर्तमान कर		137.64	40.34
b. आस्थगित कर		(1.16)	(1.27)
c. एमएटी क्रेडिट पात्रता (नोट 40 देखें)		(55.51)	-
d. पिछले वर्षों के कर		8.69	-
शुद्ध कर व्यय		89.66	39.07
7 वर्ष के लिए लाभ (5-6)		402.41	201.64
8 प्रति इक्विटी शेयर आय:	28		
(अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर)			
a. मूल		180.00	137.72
b. डायल्युटेड		171.46	137.72

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण नंबर 000050N/N500045

निदेशक मंडल की ओर से
मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रविन्द्र सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN:10381339

रामश्री शर्मा
अध्यक्ष
डीआईएन:07893820

विनेश जेन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

वैष्णवी शर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A60744

सनीता विश्वकर्मा
निदेशक
DIN:08880271

जगह: गुरुग्राम
तारीख: 21 अगस्त 2024

जगह: ब्यावरा
तारीख: 21 अगस्त 2024

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
CIN:U01114MP2017PTC043970

	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024 रुपए प्रति लाख	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2023 रुपए प्रति लाख
A. चालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
कर पूर्व लाभ	492.07	240.71
समायोजन:		
ब्याज आय	(62.54)	(48.07)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/ल्याग पर लाभ	(1.49)	(1.75)
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1.67	2.31
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	429.71	193.20
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन:		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन:		
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	-	0.32
इन्वेंटरी	(32.82)	(29.86)
व्यापारिक लेनदारियाँ	140.08	(228.94)
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	(3.52)	0.22
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	4.84	(4.33)
परिचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन:		
व्यापारिक देनदारियाँ	(25.00)	334.58
अन्य चालू दायित्व	(27.67)	112.92
लंबी अवधि के प्रावधान	3.36	3.00
अल्पकालीन प्रावधान	(2.15)	0.12
परिचालन से उत्पन्न नकदी	486.83	381.23
शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया)/वापसी	(114.10)	(5.97)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (A)	372.73	375.26
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
बैंक शेष को नकदी और नकदी समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता	15.96	63.30
संपत्ति संयंत्र और उपकरण की खरीद	(65.41)	(405.84)
संपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री	1.49	1.75
प्राप्त ब्याज	60.56	64.71
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह (B)	12.60	(276.08)
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त आय (शुद्ध)	109.31	52.28
आवेदन राशि सोझा करे	11.13	-
अनुदान प्राप्त हुआ	-	359.11
राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान	(568.98)	(380.62)
अनुदान पर ब्याज आय	0.07	7.27
लाभोंश का भुगतान (लाभोंश कर सहित)	(14.87)	(10.50)
वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (C)	(463.34)	27.54
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)	(78.01)	126.73
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	208.32	81.59
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	130.31	208.32
नकदी और नकदी समकक्ष में शामिल हैं: (नोट 16 देखें)		
बैंकों में शेष राशि:		
चालू खातों में	22.52	97.37
जमा खातों में (3 महीने से कम की परिपक्वता अवधि)	107.79	110.95
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष	130.31	208.32

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट देखें

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण नंबर 000050N/500045

निदेशक मंडल की ओर से
मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रविन्द्र सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN:10381339

रामश्री शर्मा
अध्यक्ष
DIN:07893820

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701
स्थान: गुरुग्राम
तारीख: 21 अगस्त 2024

वैष्णवी शर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A60744
जगह:
तारीख: 21 अगस्त 2024

सुनीता विश्वकर्मा
निदेशक
DIN:08880271

1 कॉर्पोरेट जानकारी

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को 18 अगस्त, 2017 को कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से सदस्यों के दूध और दूध उत्पादों को एकत्रित करना, खरीदना, प्रसंस्करण करना, प्रजनन, फ्रीड/चारा, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएँ प्रदान करना है ताकि सदस्यों के लाभ के लिए दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके और ऐसी गतिविधियों को जा सके जो उससे संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा हों या उससे संबंधित हों। कंपनी राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर और गुना जिले के गाँवों में मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (MPP) के माध्यम से दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और डेयरियों को बेचती है। कंपनी मवेशी चारा, मिनरल मिक्सर, दवा और बीज का भी व्यापार करती है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("नया अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपाजर्न आधार पर तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति और नकदी और नकदी समकक्ष में उनकी प्राप्ति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू-गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने का निर्धारित किया है।

2.2 अनुमान का उपयोग

भारतीय GAAP के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) और रिपोर्ट की गई आय और व्यय की मात्राओं पर विचार करते हुए अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / साकार होते हैं।

2.3 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक (एएस) 3 में 'नकदी प्रवाह विवरण' पर निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसके तहत असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और पिछले या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपाजर्न के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी में हाथ में नकदी और बैंकों के पास मांग जमा शामिल है। नकद समकक्ष अल्पकालिक शेष राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.4 राजस्व मान्यता

विक्री को रिटर्न और व्यापार छूट के बाद, खरीदारों को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

2.5 अन्य कर्माई

सदस्यों से जमा राशि और प्रवेश शुल्क पर ब्याज आय को उपाजर्न आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन तथा हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में उनका क्रय मूल्य शामिल होता है, जिसमें कोई भी व्यापार छूट और छूट, अन्य कर (कर अधिकारियों से बाद में वसूल किए जाने वाले करों के अलावा), परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय और योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज शामिल होता है, जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर उसके क्रय के बाद किए गए व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों में उसके पिछले मूल्यांकित प्रदर्शन मानक से अधिक वृद्धि होती है।

पूजीगत कार्य प्रगति पर:

जिन परियोजनाओं के अंतर्गत मूर्त अवल परिसंपत्तियां अभी तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर चलाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और देय ब्याज शामिल होते हैं।

2.7 मूल्यहास और परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, परिसंपत्तियों के उपयोगी Life के अनुसार Straight Line Method पर प्रदान किया गया है, जिसमें परिसंपत्ति की प्रकृति, प्रबंधन द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन, परिसंपत्ति की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन की Previous History, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वारंटी और रखरखाव सहायता आदि को ध्यान में रखा गया है:

विवरण	उपयोगी जीवन
संयंत्र और मशीनरी	1 से 10 वर्ष
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	3 और 6 वर्ष
फ्रनिचर व फिक्सचर	1 और 10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	1 और 5 वर्ष
अमूर्त संपत्तियाँ - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
ट्रेडमार्क	4 वर्ष
टिप्पणी:	
तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग है।	

2.8 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी में व्यापारिक सामान (दूध, पशु चारा, दवा और बीज) शामिल हैं। इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है, जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, अप्रचलन और अन्य नुकसानों को शामिल करने के बाद। लागत का निर्धारण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (FIFO) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। लागत में इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाले सभी खर्च शामिल हैं। छोटें उपकरण, रसायन, स्टोर और स्पेयर और उपभोग्य सामग्रियों को खरीदे जाने पर उपभोग के लिए चार्ज किया जाता है।

2.9 अनुदान

अनुदान और सब्सिडी तब मान्यता प्राप्त होती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है यानी ऐसे अनुदानों से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास शुल्क आस्थगित अनुदान से विनियोजित किया जाता है और कम मूल्यहास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि के लिए आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिनके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

2.10 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

i. परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर आवश्यक अंशदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि विवरण में इसे शामिल किया जाता है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ :

कंपनी की ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण को परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। इस तरह की परिभाषित लाभ योजना के तहत दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित इकाई केडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को जन्म देने के रूप में पहचानता है और अंतिम दायित्व बनाने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। दायित्व को अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोगी की जाने वाली छूट दर, बैलेंस शीट की तारीख पर सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार की पैदावार पर आधारित है। लाभ और हानि के विवरण में एक्चुरियल लाभ और हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

iii. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। इन लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस और प्रदर्शन प्रोत्साहन शामिल हैं जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर मिलने की उम्मीद है। अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति की लागत का हिस्सा इस प्रकार लगाया जाता है:

- संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो भविष्य में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए उनकी पात्रता को बढ़ाती हैं; तथा
- क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति का संचय न होने की स्थिति में, जब अनुपस्थिति घटित होती है।

iv. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद नहीं है, को बैलेंस शीट की तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटा दिया जाता है, यदि कोई हो, जिसमें से दायित्वों का निपटान होने की उम्मीद है।

2.11 Segment Reporting

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिम और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। परिचालन खंड वे खंड हैं जिनके लिए अलग-अलग वित्तीय जानकारी उपलब्ध है और जिनके लिए परिचालन लाभ/हानि की राशि का मूल्यांकन कार्यकारी प्रबंधन द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और प्रदर्शन का आकलन करने के तरीके पर निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से किया जाता है।

2.12 प्रति शेयर आय:

कंपनी लेखांकन मानक, AS - 20, प्रति शेयर आय के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर मूल और डायल्युटेड आय की रिपोर्ट करती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की गई है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों और डायल्युटेड संभावित इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है, सिवाय इसके कि जहां परिणाम एंटी-डिल्यूटिव होगा।

2.13 आय पर कर

आयकर व्यय में चालू कर और स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर देयता वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है, जो आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य लागू कर कानूनों के लागू कर दरों और प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT), जो भविष्य में आयकर देयता के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है, को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, MAT को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावना होती है कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

स्थगित कर को समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है, जो कर योग्य आय और लेखा आय के बीच का अंतर है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कर दरों और अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय के अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और आगे ले जाने वाले नुकसानों के अलावा अन्य मदों के समय के अंतरों के लिए केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि उचित निश्चितता मौजूद है कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि, यदि अनवशोषित मूल्यहास और आगे ले जाने वाले नुकसान और पूंजीगत नुकसान से संबंधित मदें हैं, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात का ठोस सबूत हो कि परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट की जाती हैं यदि ऐसी मदें समान शासकीय कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास ऐसे सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर उनकी वसूली योग्यता के लिए समीक्षा की जाती है।

2.14 परिसंपत्ति की क्षति

यदि किसी प्रकार की हानि का संकेत मिलता है, तो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों/नकदी उत्पादक इकाइयों के अग्रणीत मूल्यांकन की हानि के लिए समीक्षा की जाती है।

यदि परिसंपत्तियों की वहन राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए हानि को मान्यता दी जाती है। हानि को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति की किसी भी हानि को उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाता है, जिस सीमा तक उस परिसंपत्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि उपलब्ध है।

वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उनके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। उपयोग में मूल्य भविष्य के नकदी प्रवाह को उचित छूट कारक के आधार पर उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर प्राप्त किया जाता है।

जब ऐसा संकेत मिलता है कि किसी परिसंपत्ति (पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति के अलावा) के लिए पहले की लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है, तो हानि के ऐसे उलटफेर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, उस सीमा तक कि राशि पहले लाभ और हानि विवरण में चार्ज की गई थी। पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामले में ऐसे उलटफेर को मान्यता नहीं दी जाती है।

2.15 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधान तब माना जाता है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट्स में किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

2.16 Leases

पट्टा व्यवस्था जहाँ किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जोखिम और लाभ काफी हद तक पट्टाकर्ता के पास होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टा किराया पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.17 परिचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकदी या नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

3 शेयर पूंजी

	वर्ष समाप्त '31 मार्च, 2024		वर्ष समाप्त '31 मार्च, 2023	
	शेयर संख्या	मात्रा रुपए प्रति लाख	शेयर संख्या	मात्रा रुपए प्रति लाख
a. अधिकृत शेयर पूंजी				
100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00
b. जारी, अभिदत्त और भुगतान किया गया				
100/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	2,95,648	295.65	1,86,342	186.34

नीचे नोट (i) से (vii) देखें

टिप्पणियाँ:

- कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिनका सममूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक सदस्य के पास एक ही वोट होगा, बशर्ते कि सदस्य ने कम से कम 200 दिनों तक दूध डाला हो, जो कि एक वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर हो।
- सदस्य कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।
- वर्ष के प्रारंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान:

	वर्ष समाप्त '31 मार्च, 2024		वर्ष समाप्त '31 मार्च, 2023	
	शेयर संख्या	मात्रा रुपए प्रति लाख	शेयर संख्या	मात्रा रुपए प्रति लाख
वोटिंग अधिकार के साथ इक्विटी शेयर				
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	1,86,342	186.34	1,31,783	131.78
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	1,31,247	131.25	80,692	80.69
वर्ष के दौरान रद्द/समर्पित किए गए शेयर	3,17,589	317.59	2,12,475	212.47
	21,941	21.94	26,133	26.13
वर्ष के अंत में शेष राशि	2,95,648	295.65	1,86,342	186.34

- कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के अंतर्गत 'उत्पादक कंपनी' के रूप में पंजीकृत है तथा इसका कोई भी सदस्य कंपनी की 5% या उससे अधिक शेयर पूंजी नहीं रखता है।
- कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, यदि बोर्ड को लगता है कि कोई सदस्य सदस्य के रूप में योग्यता बनाए रखने में विफल रहा है, तो बोर्ड सदस्य को कंपनी को सममूल्य या बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य मूल्य पर शेयर सौंपने का निर्देश देगा। समर्पित इक्विटी शेयर कंपनी की संपत्ति मानी जाएगी और बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने पर उसे सदस्यों को बेचा जा सकता है या अन्यथा रद्द किया जा सकता है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान या उससे ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद/बैंक या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।
- प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर*

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2024 तक			31 मार्च, 2023 तक		
	धारित शेयरों की संख्या	% होलिंग		धारित शेयरों की संख्या	% होलिंग	% परिवर्तन
a. श्रीमती सीता गुर्जर	17	0.01%		17	0.01%	0.00%
b. श्रीमती पवित्रा बाई डोगी	135	0.05%		135	0.07%	0.00%
c. श्रीमती सुनीता यादव	223	0.08%		202	0.11%	10.40%
d. श्रीमती रामश्री शर्मा	46	0.02%		46	0.02%	0.00%
e. श्रीमती संतोष	14	0.00%		14	0.01%	0.00%

*यहां प्रमोटर का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित व्यक्ति से है।

	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024 रुपए प्रति लाख	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2023 रुपए प्रति लाख
4 संचित एवं अधिशेष		
सामान्य Reserve		
प्रारंभिक जमा	598.80	485.14
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	186.73	113.66
जमा शेष	785.53	598.80
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	201.64	124.20
वर्ष का लाभ	402.41	201.64
	604.05	325.84
घटाएँ:		
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश) (8 रुपये प्रति शेयर) (पिछले वर्ष 8 रुपये प्रति शेयर)	14.91	10.54
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	186.73	113.66
	201.64	124.20
वर्ष के अंत में शेष राशि	402.41	201.64
	1,187.94	800.44
5 आस्थगित अनुदान		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	859.29	651.68
जोड़ना:		
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजी अनुदान	117.79	335.80
	977.08	987.48
घटाएँ: अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास और परिशोधन	138.30	127.08
घटाएँ: बेची गई/छोड़ी गई परिसंपत्ति से संबंधित आस्थगित अनुदान से वापस ली गई राशि	0.44	1.11
	138.74	128.19
जमा शेष	838.34	859.29
Note:		
i. प्राप्त अनुदान को अनुदान के उपयोग तक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।		

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स
CIN:U01114MP2017PTC043970

	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024 रुपए प्रति लाख	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2023 रुपए प्रति लाख
6 व्यापार देयताएं		
a. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नीचे नोट 'iii' देखें)	0.44	8.54
b. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया	479.66	496.56
i) व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची	480.10	505.10

31 मार्च 2024 तक

	संचय (बिना दिल वाला)	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	0.44	-	-	-	0.44
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया	11.21	468.36	0.09	-	-	479.66
(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं को विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
	11.21	468.80	0.09	-	-	480.10

31 मार्च 2023 तक

	संचय (बिना दिल वाला)	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	8.54	-	-	-	8.54
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया	9.45	487.01	0.10	-	-	496.56
(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं को विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-
	9.45	495.55	0.10	-	-	505.10

नोट: उपरोक्त आयु की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।

	31 मार्च 2024 तक रुपए प्रति लाख	31 मार्च 2023 तक रुपए प्रति लाख
ii) व्यापार देय राशि की उपरोक्त राशि में उसके संबंधित पक्षों को देय राशि भी शामिल है (नोट 32 देखें)	0.53	0.53
iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:		
a 31 मार्च तक एमएसएमईडी (आपूर्तिकर्ता) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि		
मूल राशि	0.44	8.54
ब्याज	-	-
b वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान		
मूल राशि	-	-
ब्याज	-	-
c भुगतान में देरी के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान की गई है) लेकिन एमएसएमईडी के तहत ब्याज जोड़े बिना	-	-
d 31 मार्च तक अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
e आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आपूर्तिकर्ताओं को देय और देय ब्याज की शेष राशि कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकार्य है	-	-

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स
CIN:U01114MP2017PTC043970

7 अप्रयुक्त अनुदान

a. परिचालन/पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान (नीचे नोट 'I' देखें)

परिचालन/पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान

वर्ष की शुरुआत में संतुलन

अनुदान देयता में वृद्धि

वर्ष के दौरान प्राप्त

अनुदान पर ब्याज आय (नोट 20 देखें)

अनुदान का उपयोग

घटाएँ: वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया

घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया (नोट 20 देखें)

अप्रयुक्त अनुदान का अंतिम शेष/वसूली योग्य अनुदान)

घटाएँ: अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राशि (नोट 18 देखें)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	₹	₹
	प्रति लाख	प्रति लाख
	-	-
	-	-
	(58.53)	291.51
	-	359.11
	0.07	7.27
	0.07	366.38
	117.79	335.80
	568.98	380.62
	686.77	716.42
	(745.23)	(58.53)
	745.23	58.53
	-	-

ii) अनुदान की शर्तें:

- अनुदान की कुल स्वीकृत राशि 2018.27 लाख रुपये है
- अनुदान की अवधि: अगस्त 2020 से मार्च 2023, जिसे मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है
- कवर किया जाने वाला क्षेत्र: शिवपुरी श्योपुर और गुना
- अनुदान का उद्देश्य:**

अनुदान का उपयोग विशेष रूप से नीचे दिए गए उद्देश्यों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य जिले में डेयरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूध उत्पादकों को संगठित करके एक सदस्य स्वामित्व वाली दूध प्रोड्यूसर कंपनी (एमपीसी) का गठन करके कवर किए जाने वाले क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगी:

- निष्पक्ष एवं पारदर्शी दूध खरीद प्रणाली स्थापित करना तथा दूध प्रोड्यूसर को सीधे उनके बचत बैंक खाते में सटीक एवं समय पर भुगतान करना।
- संगठित बाजार तक वर्ष भर पहुंच उपलब्ध कराकर डेयरी किसानों के हितों की रक्षा करना
- प्रस्तावित दूध प्रोड्यूसर कंपनी के हितधारकों की शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से क्षमता को मजबूत करना
- सदस्यों के लाभ के लिए दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए दुधारू पशुओं के प्रजनन, पोषण देखभाल और प्रबंधन के क्षेत्रों में तकनीकी इनपुट सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना।

e. अनुदान की वापसी

अनुदान अवधि की समाप्ति के बाद उपार्जित ब्याज, वास्तविक ब्याज सहित अप्रयुक्त पड़ो कोई भी धनराशि, मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मंच (एमपीआरएफ) को एमपीआरएफ के अधिकारियों द्वारा उस समय अधिसूचित निर्धारित तरीके से समापन की सहमत तिथि से एक माह के भीतर वापस/चुका दी जाएगी।

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स
CIN:U01114MP2017PTC043970

iii. अनुदान उपयोग

- a. पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान
 पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है (नोट 5 देखें) जिसे बाद में व्यवस्थित आधार पर अनुदान से प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के परिशोधन व्यय के साथ समायोजित किया गया है।
- b. परिचालन व्यय के लिए अनुदान
 विशिष्ट व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को अनुदान के उपयोग तक देयता के रूप में मान्यता दी गई है, जब कंपनी द्वारा किए गए व्यय को 'अन्य आय' के अंतर्गत मान्यता दी गई।
- iv. इन अनुदानों के साथ कोई भी अथूरी शर्तें या आकस्मिकताएं जुड़ी नहीं हैं, जिनके पूरा न होने की प्रबंधन को उम्मीद हो।
- v. 31 मार्च, 2024 तक प्राप्त अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

विवरण

वह वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान प्राप्त हुआ:

	मात्रा रुपए प्रति लाख
-2020-21	739.55
-2022-23	359.11

वह वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान पर टीडीएस काटा जाता है:

-2020-21	11.09
-2022-23	7.18

31 मार्च, 2024 तक प्राप्त कुल अनुदान

1,080.39

8 अन्य वर्तमान देनदारियां

- a. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए देय
 b. ग्राहक से अग्रिम राशि
 c. वैधानिक बकाया (पीएफ, ईएसआई, टीडीएस और जीएसटी आदि में योगदान)
 d. प्राप्त व्यापार / सुरक्षा जमा
 e. सरेंडर किए गए शेयर के लिए देय
 f. दावा न किए गए/अवैतनिक लार्भांश

	31 मार्च, 2024 तक रुपए प्रति लाख	31 मार्च, 2023 तक रुपए प्रति लाख
	100.80	46.10
	1.29	29.42
	4.51	6.48
	195.90	193.72
	0.59	0.34
	0.10	0.06
	303.19	276.12

9 प्रावधानों

a. अत्यावधि प्रावधान

- i. ग्रेय्यूटी का प्रावधान
 ii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति का प्रावधान
 iii. आयकर के लिए प्रावधान

i. ग्रेय्यूटी का प्रावधान	0.34	0.30
ii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति का प्रावधान	0.43	0.34
iii. आयकर के लिए प्रावधान	-	2.28
	0.77	2.92

b. दीर्घकालिक प्रावधान

- i. ग्रेय्यूटी का प्रावधान
 ii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति का प्रावधान

i. ग्रेय्यूटी का प्रावधान	8.84	7.87
ii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति का प्रावधान	11.47	9.08
	20.31	16.95

10.1 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

	फर्नीचर और फिक्सचर	संयंत्र और मशीनरी	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	कार्यालय उपकरण	कुल
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
सकल लागत					
प्रारंभिक जमा	32.04	770.70	27.01	12.71	842.46
परिग्रहीतियाँ	1.63	330.22	0.16	4.83	336.84
व्यवस्थापन	-	1.94	-	-	1.94
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	33.67	1,098.98	27.17	17.54	1,177.36
परिग्रहीतियाँ	-	39.40	0.81	1.55	41.76
व्यवस्थापन	-	1.07	-	-	1.07
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	33.67	1,137.31	27.98	19.09	1,218.05
संचित मूल्यहास					
प्रारंभिक जमा	26.85	148.41	14.43	9.06	198.75
परिग्रहीतियाँ	2.10	112.80	6.03	2.94	123.87
व्यवस्थापन	-	0.83	-	-	0.83
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	28.95	260.38	20.46	12.00	321.79
परिग्रहीतियाँ	0.85	126.63	5.12	2.13	134.73
व्यवस्थापन	-	0.63	-	-	0.63
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	29.80	386.38	25.58	14.13	455.89
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.72	838.60	6.71	5.54	855.57
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	3.87	750.93	2.40	4.96	762.16

टिप्पणी: पूंजी अनदान से खरीदी गई तथा उपरोक्त अनुसूची में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

	फर्नीचर और फिक्सचर	संयंत्र और मशीनरी	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	कार्यालय उपकरण	कुल
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
सकल लागत					
प्रारंभिक जमा	31.87	770.09	26.51	11.88	840.35
परिग्रहीतियाँ	0.34	330.22	0.16	4.71	335.43
व्यवस्थापन	-	1.94	-	-	1.94
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	32.21	1,098.37	26.67	16.59	1,173.84
परिग्रहीतियाँ	-	39.00	0.81	-	39.81
व्यवस्थापन	-	1.07	-	-	1.07
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	32.21	1,136.30	27.48	16.59	1,212.58
संचित मूल्यहास					
प्रारंभिक जमा	26.80	148.20	13.93	8.75	197.68
परिग्रहीतियाँ	1.14	112.67	6.03	2.80	122.64
व्यवस्थापन	-	0.83	-	-	0.83
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	27.94	260.04	19.96	11.55	319.49
परिग्रहीतियाँ	0.80	126.45	5.12	1.77	134.14
व्यवस्थापन	-	0.63	-	-	0.63
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	28.74	385.86	25.08	13.32	453.00
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.27	838.33	6.71	5.04	854.35
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	3.47	750.44	2.40	3.27	759.58
	2	113	6	3	75,958
					760

10.2 अमूर्त संपत्ति

	कंप्यूटर	ट्रेडमार्क	कुल
	सॉफ्टवेयर		
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
सकल लागत			
प्रारंभिक जमा	15.42	3.72	19.14
परिग्रहीतियाँ	-	-	-
व्यवस्थापन	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	15.42	3.72	19.14
परिग्रहीतियाँ	-	-	-
व्यवस्थापन	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	15.42	3.72	19.14
संचित परिशोधन			
प्रारंभिक जमा	6.10	1.58	7.68
परिग्रहीतियाँ	4.59	0.93	5.52
व्यवस्थापन	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	10.69	2.51	13.20
परिग्रहीतियाँ	4.31	0.93	5.24
व्यवस्थापन	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	15.00	3.44	18.44
शुद्ध बहन राशि			
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.73	1.21	5.94
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	0.42	0.28	0.70

Notes

	कंप्यूटर	कुल
	सॉफ्टवेयर	
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
सकल लागत		
प्रारंभिक जमा	14.96	14.96
परिग्रहीतियाँ	-	-
व्यवस्थापन	-	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	14.96	14.96
परिग्रहीतियाँ	-	-
व्यवस्थापन	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	14.96	14.96
संचित परिशोधन		
प्रारंभिक जमा	5.95	5.95
परिग्रहीतियाँ	4.44	4.44
व्यवस्थापन	-	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	10.39	10.39
परिग्रहीतियाँ	4.16	4.16
व्यवस्थापन	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	14.55	14.55
शुद्ध बहन राशि		
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.57	4.57
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	0.41	0.41

10.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
एव पूंजीगत कार्य प्रगति पर	78.72	0.37
	78.72	0.37

Notes

(i) a. पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2024 तक

	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	रुपए प्रति	रुपए प्रति	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	
प्रगति पर परियोजनाएं	78.72	-	-	-	78.72
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	-	-	-	-	-
	78.72	-	-	-	78.72

31 मार्च 2023 तक

	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	रुपए प्रति	रुपए प्रति	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	
प्रगति पर परियोजनाएं	0.37	-	-	-	0.37
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	-	-	-	-	-
	0.37	-	-	-	0.37

b. ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है जो पूंजीगत कार्य में प्रगति पर हो, जिसके पूरा होने में देरी हो रही हो या जिसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई हो।

(ii) पूंजी अनुदान से खरीदी गई तथा उपरोक्त अनुसूची में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	78.35	0.37
	78.35	0.37

	'31 मार्च, 2024 तक	'31 मार्च, 2023 तक
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
11 स्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		
(i) स्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
a. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और ग्रेयुटी का प्रावधान	5.86	4.89
b. संपत्ति संयंत्र और उपकरण के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर	0.53	0.34
	6.39	5.23
(ii) स्थगित कर देयताओं वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
a. संपत्ति संयंत्र और उपकरण के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर	-	-
शुद्ध स्थगित कर परिसंपत्ति	6.39	5.23
12 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)		
a. वापसी योग्य आयकर (प्रावधान के बाद)	40.34	9.99
b. विरोध के तहत कर का भुगतान	-	7.07
	40.34	17.06
13 अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति		
a. सावधि जमा (उस पर अर्जित ब्याज सहित)	537.11	868.04
	537.11	868.04
14 इन्वेस्ट्री (लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो कम हो)		
(i) व्यापारिक माल		
a. कच्चा थोक दूध	66.12	47.94
b. मवेशी चारा	27.12	5.98
c. दवा	-	1.33
d. बीज	-	5.17
	93.24	60.42
15 व्यापार प्राप्ति		
a. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
b. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	202.00	342.08
c. संदिग्ध	-	-
	202.00	342.08
अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
a. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
b. असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	-
c. संदिग्ध	-	-
	-	-
	202.00	342.08

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2024 तक

	बिना बिल वाला	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	202.00	-	-	-	-	202.00
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
	-	202.00	-	-	-	-	202.00

31 मार्च 2023 तक

	बिना बिल वाला	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	342.08	-	-	-	-	342.08
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
	-	342.08	-	-	-	-	342.08

नोट: उपरोक्त आयु की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।

	'31 मार्च, 2024 तक रुपए प्रति लाख	'31 मार्च, 2023 तक रुपए प्रति लाख
16 नकदी और बैंक शेष		
a. नकद और नकद के समान		
a. बैंकों में शेष राशि:		
(i) चालू खातों में	22.52	97.37
(ii) सावधि जमा खाते में (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या उससे कम)	107.79	110.95
कुल - नकद और नकद समकक्ष (a) (एएस 3 केश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार)	130.31	208.32
b. अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खातों में		
- मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम	529.58	214.65
(ii) निर्धारित खातों में		
- अवैतनिक लाभांश खाते (नीचे नोट देखें)	0.10	0.06
कुल - अन्य बैंक शेष (b)	529.68	214.71
कुल नकदी और बैंक शेष (a+b)	659.99	423.03
17 अल्पावधि ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)		
a. प्रीपेड खर्च	4.05	2.19
b. विक्रेताओं को अग्रिम राशि	2.09	0.43
	6.14	2.62
18 अन्य चालू परिसंपत्तियां		
a. बैंक जमाराशियों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	4.18	2.20
b. अनुदान वसूली योग्य	745.23	58.53
c. अन्य वसूली योग्य	1.23	6.07
	750.64	66.80

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
 वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स
 CIN:U01114MP2017PTC043970

	'31 मार्च, 2024	'31 मार्च, 2023
	तक	तक
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
19 परिचालन से राजस्व		
a. उत्पादों की बिक्री (नीचे नोट 'i' देखें)	13,500.97	7,121.25
b. अन्य परिचालन आय (नीचे नोट 'ii' देखें)	3.96	1.30
	13,504.93	7,122.55

Notes

(i) उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं:

व्यापारिक माल

a. कच्चा थोक दूध	13,262.39	6,935.17
b. मवेशी चारा	233.23	183.72
c. बीज	3.93	1.14
d. दवा	1.42	1.22
	13,500.97	7,121.25

(ii) अन्य परिचालन आय

a. एआई शुल्क प्राप्त हुआ	3.96	1.30
	3.96	1.30

20 अन्य कमाई

a. ब्याज आय (नोट 'i' देखें)	62.54	48.07
b. सदस्यों से प्रवेश शुल्क	2.58	3.48
c. अनुदान उपयोग से मान्यता प्राप्त राजस्व	568.98	380.62
d. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/त्याग पर लाभ	1.49	1.75
e. विविध आय	43.37	26.90
	678.96	460.82

Notes

(i) ब्याज आय

-जमा पर	62.61	53.09
-आयकर रिफंड पर	-	2.25
	62.61	55.34

घटाएँ: अप्रयुक्त अनुदान में स्थानांतरित राशि (नोट 7 देखें)

-जमा पर	0.07	7.27
	0.07	7.27

अन्य आय में दर्ज ब्याज आय	62.54	48.07
---------------------------	--------------	--------------

21 व्यापार में स्टॉक की खरीद

a. कच्चा थोक दूध	11,923.74	6,160.34
b. मवेशी चारा	224.01	162.82
c. बीज	-	5.45
	12,147.75	6,328.61

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स
CIN:U01114MP2017PTC043970

22 खरीद व्यय

a. श्रम शुल्क	41.72	28.32
b. रसायन और उपभोग्य वस्तुएं	13.89	19.14
c. आवक माल	389.67	333.96
d. मूल्य प्रोत्साहन	69.46	23.83
e. सहायक प्रोत्साहन	131.97	52.67
f. प्रसंस्करण और शीतलन व्यय	0.73	-
	647.44	457.92

23 स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन

वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	60.42	30.56
वर्ष के अंत में इन्वेंटरी	93.24	60.42
इन्वेंटरी में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	(32.82)	(29.86)

24 कर्मचारी लाभ व्यय

a. वेतन, मजदूरी और भत्ते	163.76	151.03
b. भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	8.96	10.92
c. ग्रेज्युटी व्यय	5.24	4.02
d. कर्मचारी कल्याण व्यय	1.58	1.12
	179.54	167.09

25 वित्त लागत

a. वैधानिक बकाया राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	0.96
	-	0.96

26 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास	134.73	123.87
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	5.24	5.52
	139.97	129.39
घटाएँ: अनुदान पर अर्जित परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास और परिशोधन	138.30	127.08
	1.67	2.31

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स
CIN:U01114MP2017PTC043970

	'31 मार्च, 2024 तक	'31 मार्च, 2023 तक
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
27 अन्य खर्चों		
a. बिजली और ईंधन	84.82	42.84
b. किराया	39.01	32.64
c. दरें और कर	4.25	2.64
d. मरम्मत और रखरखाव -संयंत्र और मशीनरी -अन्य	26.54 0.37	16.87 1.07
e. संविदागत जनशक्ति शुल्क	97.93	52.84
f. कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	19.63	8.52
g. लेखा परीक्षकों को भुगतान (नीचे नोट 'i' देखें)	1.71	1.42
h. यात्रा और परिवहन	32.93	28.50
i. प्रिंटिंग व स्टेशनरी	6.36	7.18
j. संचार व्यय	16.29	14.20
k. वितरण, माल ढुलाई और अग्रेषण	389.58	167.71
l. बैठक और प्रशिक्षण व्यय	4.21	14.70
m. निदेशक बैठने की फीस	0.77	0.80
n. बीमा व्यय	4.04	3.72
o. एआई व्यय	8.17	6.75
p. कार्यालय का व्यय	7.49	6.28
q. विविध व्यय	4.14	6.95
	748.24	415.63

टिप्पणी:

(i) लेखा परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान में शामिल हैं

(माल एवं सेवा कर सहित)

वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क

प्रमाणन शुल्क

	1.59	1.30
	0.12	0.12
	1.71	1.42

28 प्रति शेयर आय

	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख
a. बुनियादी:		
i. इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ उपलब्ध	402.41	201.64
ii. वर्ष के दौरान बकाया 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (शेयरों की संख्या)	2,23,561	1,46,417
iii. प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹.)	100	100
iv. प्रति शेयर मूल आय ((i)/(ii)) (₹.)	180.00	137.72

डायल्युटेड

प्रति शेयर तनु आय की गणना, संबंधित अवधि के लिए शेयर आवेदन राशि के तनु प्रभाव को देने के बाद, इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की गई है।

i. इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ उपलब्ध	402.41	201.64
ii. इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या - बेसिक ईपीएस के लिए जोड़ें: शेयर आवेदन राशि का प्रभाव इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या - तनूकृत ईपीएस के लिए	2,23,561 11,130 2,34,691	1,46,417 - 1,46,417
iii. प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹.)	100	100
iv. प्रति शेयर तनु आय - (₹.)	171.46	137.72

29 प्रतिबद्धताओं और आकस्मिकताओं

	31 मार्च, 2024 तक रुपए प्रति लाख	31 मार्च, 2023 तक रुपए प्रति लाख
a. आकस्मिक देयताएं कंपनी के खिलाफ दावों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया आयकर मामले	-	35.86
	-	35.86

टिप्पणियाँ:

i. कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करती है।		
ii. मुकदमे के अंतर्गत भुगतान की गई राशि आयकर मामले	-	7.07
	-	7.07
iii. चालू वर्ष के दौरान, कंपनी को आयकर के संबंध में लंबित मुकदमे के विरुद्ध अपने पक्ष में आदेश प्राप्त हुआ है।		
b. पूंजी राशि पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिमों को घटाकर) राशि 55 लाख रुपये है (पिछले वर्ष शून्य रुपये)		
c. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके कारण कोई भी पूर्वानुमानित हानि हुई हो।		
d. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।		

30 कर्मचारी लाभ योजनाएँ

a. परिभाषित-योगदान योजनाएँ

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड के रूप में परिभाषित अंशदान योजना प्रदान करती है। प्रोविडेंट फंड सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करता है। प्रोविडेंट फंड अंशदान क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड आयुक्त (RPFIC) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों ही प्रोविडेंट फंड में पूर्व निर्धारित अंशदान देते हैं। अंशदान आम तौर पर कर्मचारी के वेतन के निश्चित अनुपात पर आधारित होता है।

भविष्य निधि के लिए कंपनी का योगदान लाभ और हानि विवरण में शामिल है:

	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख
a. भविष्य निधि में अंशदान	8.87	10.00
b. कर्मचारी राज्य बीमा के लिए योगदान	0.09	0.92
	8.96	10.92

b. परिभाषित-लाभ योजनाएँ

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी स्कीम (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित-लाभ योजना प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजना के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी के मूआवजे (अलग होने से ठीक पहले) पर आधारित है। ग्रेच्युटी योजना सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। एक्यूरियल मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। बदली हुई एक्यूरियल मान्यताओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएं वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी और राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की स्थिति को दर्शाती हैं।

i. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8.16	6.52
वर्तमान सेवा लागत	3.37	2.78
ब्याज लागत	0.61	0.48
भुगतान किये गये लाभ	4.22	2.38
दायित्वों पर एक्यूरियल (लाभ)/हानि	1.26	0.76
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9.18	8.16

ii. योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य

	31 मार्च, 2024 तक रुपए प्रति लाख	31 मार्च, 2023 तक रुपए प्रति लाख
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
यह योजना वित्तपोषित नहीं है, इसलिए योजना परिसंपत्तियाँ शून्य हैं।	-	-

iii. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

	31 मार्च, 2024 तक रुपए प्रति लाख	31 मार्च, 2023 तक रुपए प्रति लाख
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9.18	8.16
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	9.18	8.16

iv. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख
वर्तमान सेवा लागत	3.37	2.78
ब्याज लागत	0.61	0.48
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.26	0.76
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5.24	4.02

v. बैलेंस शीट समाधान

	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिये	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
वर्ष की शुरुआत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	8.16	6.52
व्यय उपरोक्तानुसार	5.24	4.02
भुगतान	4.22	2.38
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	9.18	8.16

vi. प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
छूट की दर	7.21% प्रति वर्ष	7.48% प्रति वर्ष
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.75% प्रति वर्ष	7.75% प्रति वर्ष
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
शेष कार्य जीवन	25.67 वर्ष	25.87 वर्ष
मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया गया	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2012-14 Ultimate

छूट दर, दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है।

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

vii. अनुभव समायोजन

	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिये	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये	वर्ष 31 मार्च 2022 को समाप्त हूँ	वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त हूँ	वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
डोबीओ का वर्तमान मूल्य	9.18	8.16	6.52	4.43	3.31
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति	-	-	-	-	-
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(1.26)	(0.76)	(0.97)	(0.04)	(0.15)
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-

viii. वर्ष के अंत में देयताएँ

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
गैर वर्तमान	8.84	7.87
मोजूदा	0.34	0.30
	9.18	8.17

क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति

	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिये	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ		
छूट की दर	7.21% प्रति वर्ष	7.48% प्रति वर्ष
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.75% प्रति वर्ष	7.75% प्रति वर्ष
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
शेष कार्य जीवन	25.67 वर्ष	25.87 वर्ष
मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया गया	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2012-14 Ultimate

31 Lease की प्रतिबद्धताएं

परिचालन पट्टा - पट्टेदार के रूप में

समझौतों के अनुसार भवन परिसर के किराये से संबंधित निरस्तीकरणीय/गैर-रद्दीकरणीय पट्टों के लिए वर्ष के दौरान वसूले जाने वाले पट्टा किराये और दीर्घकालिक गैर-रद्दीकरणीय परिचालन पट्टों पर अधिकतम दायित्व निम्नानुसार हैं:

	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रुपए प्रति लाख
Lease किराया	39.01	32.64

गैर-रद्द करने योग्य पट्टों पर दायित्व:-

विवरण	31 मार्च, 2024 तक रुपए प्रति लाख	31 मार्च, 2023 तक रुपए प्रति लाख
एक वर्ष से अधिक समय तक देय नहीं	25.76	26.96
एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं देय	55.51	68.92
पांच वर्ष से बाद में देय	-	0.59
	81.28	96.47

32 संबंधित पार्टियों

लेखांकन मानक AS - 18 - "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

संबंधित पक्षों का नाम और रिश्ते की प्रकृति

व्यक्ति का नाम	रिश्ते की प्रकृति
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:	
आलोक कुमार गुप्ता	निदेशक
बसंत चौधरी	निदेशक (9 जून 2023 से प्रभावी)
रामश्री शर्मा	निदेशक
अनुपम उपाध्याय	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी (30 अक्टूबर 2023 तक)
रविन्द्र सिंह	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी (4 नवंबर 2023 से प्रभावी)
टीना यादव	निदेशक
नीलम नगर	निदेशक
गायत्री	निदेशक
सुनीता विश्वकर्मा	निदेशक
बबीता परमार	निदेशक
ममता बाई	निदेशक (23 सितंबर 2022 से प्रभावी)
रीना डांगी	निदेशक (23 सितंबर 2022 से प्रभावी)
सुनीता यादव	निदेशक (27 सितंबर 2023 तक)
सौमा बाई	निदेशक (27 सितंबर 2023 तक)

मालव महिला दूध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स
CIN:U01114MP2017PTC043970

B.

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
		तक	तक
		रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
अनुपम उपाध्याय	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	25.78	22.46
रामश्री शर्मा	बैठने का शुल्क	0.08	0.08
सुनीता यादव	बैठने का शुल्क	0.03	0.08
टीना यादव	बैठने का शुल्क	0.08	0.07
नीलम नगर	बैठने का शुल्क	0.07	0.07
गायत्री	बैठने का शुल्क	0.08	0.08
सुनीता विश्वकर्मा	बैठने का शुल्क	0.08	0.08
बबीता परमार	बैठने का शुल्क	0.08	0.07
सीमा बाई	बैठने का शुल्क	-	0.06
ममता बाई	बैठने का शुल्क	0.08	0.05
रीना डांगी	बैठने का शुल्क	0.07	0.04
रामश्री शर्मा	दूध की खरीद	0.89	1.72
सुनीता यादव	दूध की खरीद	1.31	10.28
टीना यादव	दूध की खरीद	7.94	1.12
नीलम नगर	दूध की खरीद	1.23	0.71
गायत्री	दूध की खरीद	1.66	0.81
सुनीता विश्वकर्मा	दूध की खरीद	1.52	2.62
बबीता परमार	दूध की खरीद	1.33	0.29
सीमा बाई	दूध की खरीद	-	0.88
ममता बाई	दूध की खरीद	0.39	0.47
रीना डांगी	दूध की खरीद	1.71	0.30
अनुपम उपाध्याय	व्यय की प्रतिपूर्ति	3.83	10.42
रविन्द्र सिंह	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.67	-
रामश्री शर्मा	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.02	0.02
सुनीता यादव	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.01	0.02
टीना यादव	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.03
नीलम नगर	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.04	0.03
गायत्री	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.02
सुनीता विश्वकर्मा	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.03
बबीता परमार	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.06	0.04
सीमा बाई	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.03
ममता बाई	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
रीना डांगी	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.02	0.01

नोट: उपरोक्त राशि में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है।

c. वर्ष के अंत तक बकाया शेष	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	तक	तक
	रुपए प्रति लाख	रुपए प्रति लाख
i. वर्ष के अंत में दूध की खरीद के लिए व्यापार देय		
रामश्री शर्मा	0.04	0.04
सुनीता यादव	-	0.40
टीना यादव	0.27	0.01
नीलम नगर	0.02	-
सुनीता विश्वकर्मा	0.07	-
बबीता परमार	0.05	0.01
सीमा बाई	-	-
ममता बाई	0.01	0.02
रीना डांगी	0.05	0.01
गायत्री	0.03	0.04

33 वित्तीय अनुपातों का प्रकटीकरण

विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	विचरण %	भिन्नता का कारण
a. वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देयता	2.18	1.14	91%	नोट 1
b. ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	इक्विटी शेयरधारक नोंधे	NA	NA	-	
c. कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध ऑपरेटिंग आय	कुल ऋण सेवा	NA	NA	-	
d. इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	शुद्ध आय	इक्विटी शेयरधारक निधि	27.12%	20.43%	33%	नोट 2
e. इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेच गए माल की कीमत	औसत इन्वेंट्री	166.11	149.19	11%	
f. व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	49.64	31.29	59%	नोट 3
g. व्यापार देयता कारोबार अनुपात	शुद्ध खरीद	औसत व्यापार देयताएं	24.66	18.73	32%	नोट 3
h. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	14.55	64.28	-77%	नोट 4
i. शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	2.98%	2.83%	5%	
j. नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	20.91%	12.92%	62%	नोट 5
k. निवेश पर प्रतिफल	निवेश पर कमाई	औसत निवेश	NA	NA	-	

अनुपातों का कार्य

अनुपातों का आधार	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त	अनुपात	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	अनुपात
A. वर्तमान अनुपात				
वर्तमान संपत्ति	1,712.01	2.18	894.95	1.14
वर्तमान देयता	784.06		784.14	
B. ऋण इक्विटी अनुपात				
कुल ऋण (दीर्घकालिक ऋण+अल्पकालिक ऋण+पूंजी पट्टा दायित्व)	-	-	-	-
इक्विटी शेयरधारक निधि (शेयर पूंजी+आरक्षित निधि और अधिशेष)	1,483.59		986.78	
C. कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	NA		NA	
D. इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल				
शुद्ध परिचालन आय (पीएटी)	402.41	27.12%	201.64	20.43%
इक्विटी शेयरधारक निधि (शेयर पूंजी+आरक्षित निधि और अधिशेष)	1,483.59		986.78	
E. इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात				
बेचे गए माल की कीमत	12,762.37	166.11	6,786.53	149.19
औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक इन्वेंट्री+समापन इन्वेंट्री)/2	76.83		45.49	
F. व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात				
शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न)	13,504.93	49.64	7,122.55	31.29
औसत व्यापार प्राप्य (प्रारंभिक देनदार + समापन देनदार) / 2	272.04		227.61	
G. व्यापार देयता कारोबार अनुपात				
शुद्ध खरीद (खरीद - खरीद रिटर्न)	12,147.75	24.66	6,328.61	18.73
औसत व्यापार देयताएं (प्रारंभिक व्यापार देयताएं+अंतिम व्यापार देयताएं)/2	492.60		337.81	
H. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात				
शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न)	13,504.93	14.55	7,122.55	64.28
कार्यशील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्तियां - वर्तमान देयताएं	927.95		110.81	
I. शुद्ध लाभ अनुपात				
शुद्ध लाभ	402.41	2.98%	201.64	2.83%
शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न)	13,504.93		7,122.55	
J. नियोजित पूंजी पर रिटर्न				
ब्याज और कर से पहले की कमाई	492.07	20.91%	240.71	12.92%
नियोजित पूंजी = कुल परिसंपत्तियां - वर्तमान देयताएं	2,353.37		1,863.02	
K. निवेश पर प्रतिफल	NA		NA	

टिप्पणियाँ:

- 1 चालू अवधि के दौरान, वसूली योग्य अनुदान में वृद्धि के कारण चालू परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप चालू अनुपात में वृद्धि हुई है।
- 2 चालू अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा और कीमतों में वृद्धि के कारण राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, इक्विटी शेयरधारक के फंड में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, जिससे इक्विटी पर रिटर्न में वृद्धि हुई है।
- 3 वर्तमान अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में वृद्धि के कारण राजस्व और खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 4 चालू अवधि के दौरान, वसूली योग्य अनुदान में वृद्धि के कारण चालू परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, राजस्व में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात में गिरावट आई है।
- 5 वर्तमान अवधि के दौरान, नियोजित पूंजी की तुलना में कंपनी की लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है।

34 अन्य वैधानिक जानकारी

- a. चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।
 - b. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियामक द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।
 - c. कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो खातों की पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में संरेडर या प्रकट किया गया हो (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान)। इसके अलावा, पहले से कोई अलिखित आय नहीं थी और वर्ष के दौरान खातों की पुस्तकों में कोई अतिरिक्त संपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी।
 - d. चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को अग्रिम, ऋण या निवेशित धनराशि (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम) नहीं दी है।
 - e. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है। इसके अलावा, कंपनी को क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से कोई जमा या अग्रिम राशि भी प्राप्त नहीं हुई है।
 - f. बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (समय-समय पर संशोधित) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
 - g. कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (निधि देने वाली पार्टी) भी शामिल है, से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (वाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि देने वाली पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी।
 - h. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगा या निवेश करेगा (अंतिम लाभार्थी) या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।
 - i. वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई कार्यशील पूंजी सीमा नहीं है, इसलिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ तिमाही स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
 - j. कंपनी ने किसी भी कंपनी में कोई और निवेश नहीं किया है, इसलिए कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
 - k. कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि लंबित नहीं है।
 - l. कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- 35 खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक AS-17 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से दूध और पशु आहार के व्यापार के एकल व्यवसाय खंड में काम करती है और एक भौगोलिक खंड में परिचालन करती है।
- 36 31 मार्च, 2024 तक 11,130 इकटि शेरों के लिए 11.13 लाख रुपये (31 मार्च, 2023 तक शून्य रुपये) शून्य रुपये के प्रीमियम पर। कंपनी के पास इन शेरों के आवंटन को कवर करने के लिए पर्याप्त अधिकृत पूंजी है। शेरों के आवंटन लंबित रहने तक, राशि एक निर्दिष्ट बैंक खाते में रखी जाती है और कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसके बाद, कंपनी ने 20 मई 2024 को शेर आवंटित किए हैं।
- 37 सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति, इसके संचालन और प्राप्ति के आधार पर, कंपनी ने 12 महीने से कम के अपने परिचालन चक्र का पता लगाया है। तदनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीने की अवधि पर विचार किया गया है।

मालव महिला दूध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स
CIN:U01114MP2017PTC043970

- 38 कंपनी ने सीएसआर नियमों, नेटवर्क, टर्नओवर और शुद्ध लाभ की शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसलिए सीएसआर के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 39 निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100 रुपये मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 8.00 रुपये (यानी, 8%) का लाभांश देने की सिफारिश की है। लाभांश भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।
- 40 कंपनी ने आयकर रिटर्न में दावा की गई राशि के आधार पर चालू वर्ष के आयकर के भुगतान के लिए एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया है।
- 41 निदेशक मंडल की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्ति मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिस पर वे दर्शाई गई हैं।
- 42 जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण नंबर 000050N/N500045

मालव महिला दूध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रविन्द्र सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN:10381339

रामश्री शर्मा
अध्यक्ष
DIN:07893820

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

वैष्णवी शर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A60744

सुनीता विश्वकर्मा
निदेशक
DIN:08880271

स्थान: गुरुग्राम
तारीख: 21-08-2024

स्थान: ब्यावरा
दिनांक: 21-08-2024